

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नाजम सिंह बनाम गुरजीत सिंह आदि

किरम मुकदमा 148 ए सी पी सी नम्बर 02 सन 2023 2023/319
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल
नम्बर व

तामिल
हुकम

तामिल अहकाम
जो इस हुकम
की तामिल में
जारी हुए

27.01.2023

प्राथी नाजम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक
29 एच तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के
द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक
29 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 22/21 के
मुरब्बा नम्बर 38 की 0.060 हेक्टैयर नहरी भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थीगण
या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्राथी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का
अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से
तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने
पर पत्रावली पेश हो। तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

2

अ 7/26

आप यह पत्रावली चेशी में ली गई
प्राथी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा
148(क) CPC को पेश हुए 90 दिवस
से अधिक का समय हो चुका है।
अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। प्राथी का प्राथना
पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली गिणीति होकर नम्बर से कट
कर दायिल रफ्तार हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर